

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत... २-५-१२-२० बुलेवार्ड (SDO) मुकाम... ०१२५

६६३११२१५

बनाम... शेख देवी १०१२१

किस्म मुकदमा... १११/१२८ RLR act नं ३८२ सन् २०२१

तारीख हुक्म	हु... अर्थात् मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.12.21	प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री... ०१५५६ पुनड ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा... १११/१२८ RLR act राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 10.1.22 को पेश हो।	
10/01/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित/विप्रार्थी/गिणे के नोटिस तामिल अदम तामिल अग्रपत्र/ बन्तजार होकर पत्रावली डाइना दिनांक 08/03/2022 को पेश हो।	सहायक कलेक्टर (SDO) वायतु
08/03/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित/विप्रार्थी/गिणे के नोटिस तामिल अदम अग्रपत्र। बन्तजार होकर पत्रावली फाइनल दिनांक 06/04/2022 को पेश हो।	सहायक कलेक्टर (SDO) वायतु

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

न्यायालय  
क्र. वा. 2022/595  
पृष्ठ 595  
हुक्म माराम  
जाति ज  
की

06/04/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगणों  
के रोहित लालि सुडा आर डीमे नालि  
पत्रावली विदा गजा/ विप्रार्थीगण बावजुद  
लालि अनुपस्थित/ न्यायालय समुचीन  
कार भावज एगारि गरी फिलिम भावज  
5.45 pm पर लगारि गरी विप्रार्थीगण एके  
या उनही फोर से डोई अधिवक्ता/ उपस्थित  
नही दुहा लवेदाजा विप्रार्थीगणों के तबरेक  
एडवकाट डार्पवादी कमल के लारि जाली डी फोर  
वालने बरम पत्रावली डी नो 05/05/2022  
की फेर डी/

सहायक कलक्टर  
(S.D.O.)

05/05/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद  
तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई,  
प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं  
विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी  
एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे  
बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है  
जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को  
लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने  
खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी  
करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को  
स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का  
नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिडा को  
कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि  
आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के  
खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क  
जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल  
पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो,  
दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर  
(S.D.O.)

राजस्थान-सरकार

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद/2022/595

दिनांक : 05/05/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. हुकमाराम पुत्र सोनाराम,  
जाति जाट, निवासी अणदोणी जाखड़ों  
की ढाणी, पटवार मण्डल गिड़ा,  
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)


1. खेतुदेवी पत्नी मगाराम वगैरा 27,  
जाति जाट, निवासी जाखड़ा,  
पटवार मण्डल जाखड़ा,  
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

### प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 382/2021

#### आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - अणदोणी जाखड़ों की ढाणी, पटवार मण्डल - जाखड़ा, तहसील - गिड़ा, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 384/94, 94 रकबा क्रमशः 3.0351, 1.1331 हेक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक : वाद/2022/596-600

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का जाखड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री हुकमाराम पुत्र सोनाराम,
4. विप्रार्थी श्री खेतुदेवी पत्नी मगाराम वगैरा 27,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।

(जगदीश सिंह आशिया)  
उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 05/05/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु  
(SDO) बायतु